

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण संख्या:-39/18

दायरा 19.05.18

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी झालावाड़

प्रार्थी.....

बनाम

1. राजकुमार गुप्ता आ० माणक चन्द विक्रेता एवं मालिक मैसर्स कोटा केश काउण्टर, माचलपुर रोड़ बकानी जिला झालावाड़।
2. महेश छवरानी प्रोपराइटर / मैसर्स गुरुनानक प्रोडक्ट्स ए 112-ए रोड़ नं० 21.पी०आई०ए० कोटा राज० 324005।
3. अनिल कुमार डोडबानी प्रोपराइटर / मैसर्स मोहन फूड्स 64 बी-1 कोपरेटीव इण्डो स्टेट कानपुर नगर उ०प०

गैर सायलान

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)एफ०एस०एस० एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित- 1- परोकार सरकार

2- गैर सायल नं० 2 स्वयं

-: आदेश :-

दिनांक:- 12.07.18

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं दिनांक 24.10.2013 को खाद्य अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक /एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हू। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें राज० जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधि० झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 21.12.2017 को समय बाद दोपहर 05.00 बजे मय टीम के मैसर्स कोटा केश काउण्टर, माचलपुर रोड़ बकानी जिला झालावाड़। वहां पर राजकुमार गुप्ता पुत्र श्री माणकचन्द गुप्ता खाद्य पदार्थ नींबू मस्ती का विक्रय का कार्य कर रहे थे, वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ नींबू मस्ती जो कि 10 पाउच एक लकड़ी की आलमारी में रखे हुए थे। इसमें एक पाउच 80 ग्राम का था। जो आम जनता को बेचान की जा रही थी। उसमें मिलावट का संदेह होने पर 8 पाउच नींबू मस्ती वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को रु 76/- नगद देकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजकुमार गुप्ता पुत्र श्री माणकचन्द गुप्ता विक्रेता एवं मालिक, ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति राजकुमार को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य प्रदार्थ नींबू मस्ती 80 ग्राम के 8 पाउच को लेकर 2-2 के चार पार्ट करके प्रत्येक पर लेबल चिपकाये व खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी-924 नमूना लेने की दिनांक ,स्थान दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी-924 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्टों में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये, फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर स्वयं द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/534-36 दिनांक 29.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा राजस्थान से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 28.12.17 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ नीबू मस्ती मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जिसकी सूचना विक्रेता को भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः जांच करवाने हेतु दी गई, जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 97 दिनांक 21.05.18 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त केस में गैरसायलान ने खाद्य पदार्थ नीबू मस्ती मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जर्ज नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस में नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायल नं0 2 द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि गैर सायल नं0 1 व 3 द्वारा भी उक्त प्रकरण में जवाब आदि प्रस्तुत करने हेतु मुझे अधिकृत किया गया है, कृपया प्रकरण का निस्तारण फरमावे जो भी पेनल्टी होगी वोह मेरे द्वारा जमा करा दी जावेगी। बहस उभय पक्ष सुनी गई गैर सायल द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया एवं भविष्य में ध्यान रखने हेतु अनुरोध किया गया बहस परोकार सरकार सुनी गई, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन के तथ्य की पुष्टि में सलग्न किये गये दस्तावेजों की ओर ध्यान आकृषित करते हुए कथन किया कि गैरसायल द्वारा खाद्य पदार्थ नीबू मस्ती मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायलान से अवमानक खाद्य पदार्थ नीबू मस्ती मिसब्राण्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से संबंधित दस्तोजन भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये हे। उक्त सभी दस्तावेजों से साबित होता है कि गैर सायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ नीबू मस्ती मिसब्राण्ड का भण्डारन एवं विक्रय किया गया है।

हमने बहस को सुना व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों साक्ष्यों से होती है। गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ नीबू मस्ती मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित होता है, गैर सायलान का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 में उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मददेनजर रखते हुए गैर सायल 1 लगायत 3 प्रत्येक को 5000-5000/- अक्षरे पाँच-पाँच हजार रुपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ़्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.07.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावात)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
झालावाड़ (राज0)

